**(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)**

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 10th February, 2026

## NOTIFICATION

**No.10-10/2024-U.3(A): Whereas**, St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Hosur, Tamil Nadu by taking over the following four affiliated colleges of The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai, as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023:

i. St. Peter's Medical College, Hospital and Research Institute, Hosur
ii. St. Peter's Nursing College and Research Institute, Hosur
iii. St. Peter's Pharmacy College and Research Institute, Hosur
iv. St. Peter's Allied Health Sciences College and Research Institute, Hosur

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 8-19(Delhi)/2025 dated 06.08.2025, informed that the application was examined by the UGC through its Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai with certain conditions. The recommendation of the Committee was approved by the Chairman, UGC.

3. **And further whereas**, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 04.12.2025 to St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Hosur, Tamil Nadu.

4. **And whereas**, the Registrar, St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai, vide letter dated 08.12.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. In response, UGC, vide letter dated 03.02.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and recommended for final approval in the matter.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai to start an off-campus Centre at Hosur, Tamil Nadu by taking over the four colleges as mentioned in para 1 above. This notification is subject to the final outcome of LPA No.16 of 2026 filed by the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University Vs. St. Peter's Institute of Higher Education and Research & Ors. in the Hon'ble High Court of Delhi.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai.

पू कि बनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011 23383432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

**Copy forwarded to:**

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Registrar, St. Peter's Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University), Chennai.
3. The Secretary, Higher Education Department, Government of Tamil Nadu.
4. The Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Tamil Nadu.
5. The Vice-Chancellor, The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai, Tamil Nadu.
6. The Secretary, National Medical Commission, Pocket – 14, Sector – 8, Dwarka Phase – 1, New Delhi – 110077.
7. The Secretary, Indian Nursing Council, Combined Council Building, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi.
8. The Secretary, Pharmacy Council of India (PCI), Post Box No.7020, Combined Councils' Building, Kotla Road, Aiwa-E-Ghalib Marg, New Delhi-110002.
9. The Under Secretary (ME), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
10. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
12. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
13. Guard file / Notification file.
14. PS to Hon'ble EM.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No. 23381578

**(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)**

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 फरवरी, 2026

**अधिसूचना**

**सं.10-10/2024-यू.3(ए): जबकि**, सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई के निम्नलिखित चार संबद्ध कॉलेजों का अधिग्रहण करते हुए होसुर, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया:

i. सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, होसुर
ii. सेंट पीटर्स नर्सिंग कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, होसुर
iii. सेंट पीटर्स फार्मेसी कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, होसुर
iv. सेंट पीटर्स एलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, होसुर

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 06.08.2025 के अपने पत्र संख्या 8-19(दिल्ली)/2025, के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी ने अपनी स्थायी समिति के माध्यम से आवेदन की जांच कराई थी। समिति ने संस्थान के प्रस्तुतीकरण और प्रस्तुत दस्तावेज़ों के आधार पर कुछ निश्चित शर्तों के साथ सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की अनुशंसा की। समिति की अनुशंसा को अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को होसुर, तमिलनाडु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति हेतु दिनांक 04.12.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. **और जबकि**, कुलसचिव, सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई ने दिनांक 08.12.2025 के पत्र के माध्यम से आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 03.02.2026 के पत्र के माध्यम से बताया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति ने स्वीकार कर लिया है और इस मामले में अंतिम अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया।

5. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को ऊपर पैरा 1 में यथाउल्लिखित चार कॉलेजों का अधिग्रहण करके तमिलनाडु के होसुर में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करता है। यह अधिसूचना तमिलनाडु

डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाम सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एलपीए संख्या 16/2026 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों का सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई द्वारा अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

पूर्णेंदु बनर्जी

(पूर्णेंदू किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011 23383432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड़, नई दिल्ली – 110002

**प्रति अग्रेषित:**

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई।
3. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार।
4. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार।
5. कुलपति, द तमिलनाडु डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु।
6. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज - 1, नई दिल्ली - 110077
7. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली।
8. सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), पोस्ट बॉक्स नंबर 7020, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, आइवा-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली-110002
9. अवर सचिव (एमई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, , निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
10. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
12. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध किया जाता है कि वे अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को निर्देश दें
13. गार्ड फाइल / नोटिफिकेशन फाइल
14. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 23381578